दिल्लो विधान सभा समाधार भाग-2

र् विधायो तथा अन्य यामलों से संबंधित सामान्य जानकारों हूं सोमवार, ∣जनवरों, 1996∕ पौल ।।,।९।७ हूँ किंरू

संख्या.

सदस्य को नज़रवंदो एवं रिहाई

माननोय अध्यक्ष, दिल्लो विधान सभा ो सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, नई दिल्लो जिला, नई दिल्लो से दिनांक :20.12.95 को निम्नलिखित संसूचना दिनांक ।.1.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको सस्मानिस्चित करना है कि दिल्लो राष्ट्रीय राजधानो राज्यदेष्ठ का विधान सभा के माननीय सदस्य थ्रा जितेन्द्र कुपार, विधाय को उनके अन्य समर्थकों सिंह्ति आज अर्थात् 20.12.95 को अपराह्न 12.55 को पुलिस थाना, संसद यार्ग, नई दिल्लो से पुलिस के दिधि सम्बत निर्देशों अदझा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 का धारा 65 के अंतर्गत नज़राबंद किया गया ।

उन्हें, उनके अन्य समर्थकों सहित उसा तिन अथात् दिनांक 20.12.55 को अपराह्न 1.15 को पूलिस थाना, संसद यार्ग, नई दिल्लो से रिहा कर दिया गया ।"

> पर.एन. गुप्ता . सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Monday, January 01, 1995/Pausa 11, 1917 (Saka)

No. 234

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 20.12.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Additional Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 01.01.1996:-

"I have the honour to inform you that Sh. Jatinder Kumar @ Kalu Bhaiya, Hon'ble Member of Legislative Assembly N.C.T. of Delhi alongwith his supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1255 hours today i.e. 20.12.1995.

He was released at 1315 hours from Police Station Parliament Street, New Delhi, the same da y i.e. 20.12.1995."

P.N. GUPTA SECRETARY